राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1258/2025 **गुलमोहर इन्फ्रा बनाम कैलाश चन्द** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 08 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र बाबत अपील सारहीन हो जाने के कारण ख़ारिज किये जाने का पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधिवक्ता रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26/06/2025 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सहमति के आधार दिनांक 24/02/2026 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26/06/2026 को निरस्त करते हुये रेस्पो. संख्या 1 व 2/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 सीपीसी के आधार पर वाद को विड्रा करते हुये ख़ारिज फरमा दिया गया। ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नही रह गयी है। अत: अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से ख़ारिज फरमाई जावे। हमने अधिवक्ता प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24/02/2026 का अवलोकन किया। जिससे रेस्पो. की कथनों की पुष्टि होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26/06/2026 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26/06/2025 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सहमति के आधार दिनांक 24/02/2026 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26/06/2026 को निरस्त करते हुये रेस्पो. संख्या 1 व 2/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 सीपीसी के आधार पर वाद को विड्रा करते हुये ख़ारिज फरमा दिया गया, जिससे यह अपील अब क़ानूनी प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है। अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	